प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2344/2007

याचिकाकर्ता बिरेन्द्र कुमार देवांगन

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

आदेश हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2344/2007

याचिकाकर्ता - बिरेन्द्र कुमार देवांगन, पिता—श्री गणेश राम देवांगन, आयु लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय—एल.एल.बी. भाग द्वितीय के छात्र, शासकीय महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.), निवासी—नेहरू स्कूल के पास, टिकरापारा वार्ड, धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. कलेक्टर, धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)।

3. तहसीलदार, धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)।

4. लाला राम पवार, पिता—स्व. श्री बिंदू लाल, जाति—बया-महरा, पद—नगर पालिका कार्यालय धमतरी में चपरासी, निवासी—नेहरू स्कूल के पास, टिकरापारा वार्ड, धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)।

5. राजेश पवार, पिता—श्री लाला राम पवार।

6. कुमारी रजनी, पिता—श्री लाला राम पवार।

7. उमेश पवार, पिता—श्री लाला राम पवार।

8. उधो राम, पिता—स्व. श्री बिंदू लाल पवार, जाति—बया।

9. कु. पूर्णिमा पवार, पिता—श्री उधो राम।

10. कु. पूनम पवार, पिता—श्री उधो राम।

11. कु. सोनिया पवार, पिता—श्री उधो राम।

12. कु. चंदा पवार, पिता—श्री उधो राम।

13. तामेश्वर पवार, पिता—श्री उधो राम।

14. दामेश्वर पवार, पिता—श्री उधो राम।

15. श्रीमती पवार, पत्नी—स्व. श्री बिंदू लाल पवार, जाति—बैक।

16. सुश्री सविता पवार, पिता—श्री मदन पवार।

17. कु. गीतांजलि पवार, पिता—श्री मदन पवार।

18. निलेश्वर पवार, पिता—श्री मदन पवार।

19 ओंकार पवार, पिता—श्री शिवलाल पवार।

20. गोपाल पवार एवं अश्वनी पवार, पिता—श्री ओंकार पवार

उत्तरवादी क्रमांक 4 से 20 तक, जाति—बया, निवासी—नेहरू स्कूल के पास, टिकरापारा वार्ड, धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थितः

श्री आर. एस. पटेल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री उत्कर्ष वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से।

.....

आदेश

(दिनांक 11.12.2007 को पारित)

1. याचिकाकर्ता द्वारा डिप्टी कलेक्टर, धमतरी की ओर से विशेष कर्तव्य अधिकारी, सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत निवारण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को संबोधित दिनांक 28.07.2006 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी./1) की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.01.2006 (अनुलग्नक पी./2) के पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत की कि उत्तरवादी क्रमांक 4 से 20 महार समुदाय के नहीं हैं, अतः वे अनुसूचित जाति (एस.सी.) की श्रेणी में नहीं आते। उनका परिवार 'बया महार' के नाम से जाना जाता है, जो अधिसूचित अनुसूचित जाति (एस.सी.) समुदाय में शामिल नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 03.03.2006 एवं 03.05.2006 के पत्रों द्वारा कलेक्टर को तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अनुपालन में डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर की ओर से, आक्षेपित पत्र दिनांक 28.07.2006 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 से 20 महार समुदाय से संबंधित हैं, क्योंकि उनके जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आर. एस. पटेल ने तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर का प्रतिवेदन विधि के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर किसी समुदाय की जाति का यह निर्धारण करने के लिए सक्षम नहीं है कि वह अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) में आती है या नहीं। याचिकाकर्ता, जो उत्तरवादी क्रमांक 4 एवं अन्य के निकटवर्ती पड़ोसी हैं, उनके परिवार एवं पूर्वजों को भली-भांति जानते हैं। वे 'बया महार' जाति से संबंधित हैं, जो ओ.बी.सी. श्रेणी में आती है। लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तरवादी क्रमांक 4 से 20 ने सक्षम अधिकारी से अनुसूचित जाति (एस.सी.) के झूठे प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं। अतः इस मामले की जांच राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति द्वारा की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित उप शासकीय अधिवक्ता श्री उत्कर्ष वर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सक्षम है और इसे राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के समक्ष भेजना आवश्यक नहीं है। तथापि, यदि याचिकाकर्ता चाहे तो उसे समिति के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 से 20 को अनुसूचित जाति (एस.सी.) के रूप में जो जाति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। यह भी

याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उक्त जाति प्रमाण-पत्र कूटरचित हैं। तथापि, याचिकाकर्ता का कहना यह है कि यदि किसी समुदाय की जाति को लेकर विवाद है, तो उसे राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के समक्ष संदर्भित किया जाना चाहिए। कलेक्टर को यह अपेक्षित था कि वह सरकार को यह प्रतिवेदन देने से पूर्व कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र सही हैं, इस मामले को जाति सत्यापन समिति के पास भेजता।

6. ***कुमारी माधुरी पाटिल एवं एक अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास एवं अन्य*** **(AIR 1995 SC 94)** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति संबंधी विवाद का निर्णय राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति द्वारा किया जाना चाहिए। इसके पश्चात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम रवि प्रकाश बाबूलालसिंह परमार एवं एक अन्य*** **(2006 AIR SCW 6093)** में यह भी अभिमत व्यक्त किया कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति स्वयं को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा करता है, उसे पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के मध्य समानता पर विशेष बल दिया है। भारत का संविधान संरक्षणात्मक भेदभाव एवं आरक्षण की व्यवस्था करता है, जिससे वंचित वर्ग को अग्रणी वर्ग के समान स्तर पर लाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति संविधान के इन कल्याणकारी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाते हुए, जबकि वह उसका पात्र नहीं है, आरक्षण अथवा अन्य लाभ प्राप्त करता है, तो वह न केवल समाज के साथ बल्कि वस्तुतः संविधान का भी उल्लंघन करता है। जाति सत्यापन समिति इस प्रश्न की जांच कर सकती है कि जाति प्रमाण-पत्र विधिवत जारी किया गया है या नहीं। संबंधित प्राधिकारी की भी यह जिम्मेदारी है कि वह जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के दावे की सत्यता का परीक्षण करे।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त विधि सिद्धांतों के आलोक में यह उचित है कि प्रकरण को जाति सत्यापन समिति के समक्ष संदर्भित किया जाए, ताकि वह याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच साक्ष्य अभिलेखित कर तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों का परीक्षण कर, विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित कर सके।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. फलस्वरूप, दिनांक 28.07.2006 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी./1), जो डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर धमतरी की ओर से जारी किया गया है, प्रभावी नहीं रहेगा तथा प्रकरण को याचिकाकर्ता की शिकायत के पुनर्विचार हेतु विधि के अनुसार जाति सत्यापन समिति को संदर्भित किया जाता है।

9. तदनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**